संख्या–723/चौवालिस–1-80/78

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र मोहन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 1985

विषयः– राजकीय उपक्रमों/निगमों के गैर–सरकारी अध्यक्षों को स्टाफकार की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या–3451/ब्यूरो–79-80, 78, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 के पैरा–1 के उप पैरा–1(ख) के खण्ड (5) की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन ने राजकीय उपक्रमों/निगमों के गैर सरकारी अध्यक्षों को तीन सौ रूपया प्रतिमाह की दर से अनुमन्य वाहन भत्ते की सुविधा को समाप्त करते हुए अब उन्हें निगम की ओर से स्टाफ कार की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त सुविधा 100 लीटर (सौ लीटर) पेट्रोल प्रतिमाह की सीलिंग के साथ अनुमन्य होगी।

भवदीय,
ह०/ सुरेन्द्र मोहन
सचिव।

संख्या–723 (1)/चौवालिस–1/85-80/78,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त सम्बन्धित सचिव/विशेष सचिव।
(2) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के प्रशासकीय अनुभाग–
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2
(4) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह०/आर०के० सिंह
विशेष सचिव।